216

पo सं0–1867 XXVIII–5–2014–147 / 2007

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दल्ला जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प / एस0ए0डी0 / 32 / 2007 / 29171, दिनांक 17 नवम्बर 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय विषयगत योजना हेतु अवशेष धनराशि रु0 54.41 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 26.52 लाख अवमुक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध करायी जायेगी ।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलबध करा दिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321–XXVII(1) / 2012, दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश सं0–284 / XXVII(1) / 2013, दिनांक 30.03.2013 में इंगित निर्देशों प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा व अनुश्रवण करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रुप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए कार्य हेतु अब तक स्वीकृत धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। बिलम्ब या अन्य किसी भी दश में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य के संबंध में वि0वि0 के शासनादेश संख्या–475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से MOU अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतांए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयागशाला से अवश्य करा लिया तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
9. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या– 12 लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 07– एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 00– आयेजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा सं0–400/XXVII(1)/2014, दिनांक 1 अप्रैल 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

साफ्टवेयर आवंटन संख्या---S1509120092

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1867 (1)/XXVIII–5–2014–147/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी
4– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा टिहरी गढ़वाल।
6–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8–मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव